बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

आदेश

श्री कुणाल किशोर, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला खनन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति जिला खनन कार्यालय, दरभंगा के विरूद्ध लघु खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति निर्गत करने में अनावश्यक विलम्ब, एकरूपता नहीं बरतना, अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु अवैध राशि की मांग करने, सी0टी0एस0 कम्पनी को बगैर जाँच–पड़ताल के अनुज्ञप्ति निर्गत/नवीकृत करना, सी0टी0एस0 कम्पनी द्वारा पीरपैंती रेलवे स्टेशन से बगैर परिवहन चालान के पत्थरों के प्रेषण से सरकार को राजस्व की क्षति होने एवं बालू के अवैध भंडारण/परिवहन में संलिप्तता तथा संरक्षण संबंधी आरोप हेतु श्री कुणाल किशोर के विरूद्ध विभागीय पत्रांक 1193/एम0 दिनांक 03.05.2021 से आरोप/प्रपत्र–'क' गठित कर आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री किशोर द्वारा दिनांक 07.06.2021 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री किशोर से प्राप्त स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरांत श्री किशोर के इस कृत्य हेतु उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत विभागीय ज्ञापांक 2651 दिनांक 02.07.2024 से विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 967 दिनांक 19.02.2025 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–01 अप्रमाणित, आरोप संख्या–02 आंशिक प्रमाणित, आरोप संख्या–03 अप्रमाणित एवं आरोप संख्या–04 अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक 2022 दिनांक 03.04.2025 से जाँच प्रतिवेदन पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री किशोर द्वारा दिनांक 18.04.2025 को द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसपर सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुणाल द्वारा कोई नया तथ्य प्रमाण के साथ नहीं रखा गया है। इस आधार पर इनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(V) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री कुणाल किशोर, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला खनन कार्यालय, भागलपुर सम्प्रति जिला खनन कार्यालय, दरभंगा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 की कंडिका (V) के तहत **''असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक''** की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0(स्था0)क्षे0–01/2022–..................../एम0, पटना, दिनांक–......................
प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

कृ0पृ0उ0

Sanj/bach/karyalaya adesh

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0(स्था0)क्षे0–01/2022–................../एम0, पटना, दिनांक–.....................
प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0(स्था0)क्षे0–01/2022–................../एम0, पटना, दिनांक–.....................
प्रतिलिपिः–उप निदेशक, अंचल कार्यालय, दरभंगा/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0(स्था0)क्षे0–01/2022–................../एम0, पटना, दिनांक–.....................
प्रतिलिपिः–श्री कुणाल किशोर, निम्नवर्गीय लिपिक, जिला खनन कार्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0(स्था0)क्षे0–01/2022–3210/एम0, पटना, दिनांक–12/06/25
प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/विशेष कार्य पदाधिकारी–I/उप सचिव कोषांग/अराजपत्रित स्थापना (क्षे0)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

12/06/25
सरकार के अपर सचिव

12-6-25

Sanj/bach/karyalaya adesh